नम्बर /वर्ष 27/2025 अनवानी पुरखाराम बनाम भूपसिह

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
29/5/25	प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी व 151 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 फोत हो चुकी है जिनके जायज वारिसान प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार है अप्रार्थी संख्या 3 को पूर्व में अनवानी प्रार्थना पत्र में दर्ज है जो कि फोत हो चुकी है जिसका पूर्व में पता नही था तारीख पेशी पर आया तो अभिभाषक ने पुछताछ की तो मैने बताया कि सुरस्ती फोत हो चुकी है तब सारी जानकारी प्राप्त करके अप्रार्थीया संख्या 3 के वारिसान का नाम पता पुछकर प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है जो कि ज्ञान से अन्दर मियाद है प्रार्थी देहाती व कानुनी की जानकारी नही होने के कारण पहले पता नही था अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 3 के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर आगामी सुनवाई की जावे। अप्रार्थी /गैरसायल संख्या 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 3 सुरस्ती का देहान्त दिनांक 20.12.2020 को ही हो चुका है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने दिनांक 22.05.2025 को पेश किया गया है जो कि उसी दिन अबैट हो चुका था कानूनी तौर पर मृतक के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता है गैरसायल संख्या 3 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र बिना किसी दस्तावेज के प्रस्तुत किया गया है जिसमें मृत्यू प्रमाण पत्र वारिस प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश नही किये गये है बिना दस्तावेजो के वारिसो को पक्षकार बनाया जाना उचित नही है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 मे स्पष्ट अंकित किया गया है यदि मुकदमा दायर करने से पहले ही प्रतिवादी/गैरसायल की मृत्यू हो चुकी है तो उस व्यक्ति के खिलाफ वाद अवैट माना जावेगा इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अवैट किया जाकर इसी स्तर पर खारिज फरमावे। उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी /सायल ने यह प्रार्थना पत्र 251ए के तहत अप्रार्थीगण /गैरसायलान के विरूद्व रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये दिनांक 22.05.2025 को पेश किया गया था जो वर्तमान में गेरसायल संख्या 1 के जबाब हेतु विचाराधीन है प्रार्थी /सायल के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश कर गेरसायल संख्या 3 के वारिसान को पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी/सायल ने गैरसायल संख्या 3 के वारिसान को पक्षकार बनाने का निवेदन किया तथा साथ ही निवेदन किया की पूर्व में देहाती व्यक्ति होने के कारण कानुनी ज्ञान नही होने के कारण गैरसायल संख्या 3 के वारिसो का पक्षकार नही बनाया जा सकता था गैरसायल संख्या 1 का कथन है कि सायल ने मृतक के विरूद्व वाद पेश किया गया है प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही गैरसायल संख्या 3 का देहान्त हो गया था इसलिये प्रार्थना पत्र अबैट हो चुका है प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। प्रार्थी /सायल ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2025 को पेश किया गया था तथा गैरसायल संख्या 3 का देहान्त 20.10.2020 को ही हो चुका था अर्थात प्रार्थी/सायल ने मृतक के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया की उसे कानुनी जानकारी नही थी यह तो प्रार्थी के अधिवक्ता का दायित्व था कि वह प्रार्थी से प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व वाच्छित जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र पेश करता जो नही किया गया जो विधिसम्मत नही है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी /सायल ने प्रार्थना पत्र	

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिनांक 22.05.2025 को पेश किया गया था तथा गैरसायल संख्या 3 का देहान्त 20.10.2020 को ही हो चुका था अर्थात प्रार्थी/सायल ने मृतक के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सिविल प्रक्रिय संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि मृतक के विरूद्व वाद/प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही होगा काश्तकार के हितो को ध्यान में रखते हुए काश्तकार रास्ता प्राप्त करने के लिये समस्त/तथ्यो पक्षकारो का समयोजित करते हुए पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मृतक के विरूद्व पेश करने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 , सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अबेट होने के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर